भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1974
दिनांक 2 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य पर व्यय

1974. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करने की दिशा में कोई कदम उठाए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार, स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुँचने की परिकल्पना की गई है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, पिछले तीन वर्षों यानी 2021-22, 2022-23 (संशोधित प्राक्कलन) और 2023-24 (बजट प्राक्कलन) के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डी ओ एच एफ डब्ल्यू) ने स्वास्थ्य बजट में आवंटन बढ़ाने के प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बजट प्राक्कलन) में 47,353 करोड़ रुपये से 85% बढ़कर 2024-25 (बजट प्राक्कलन) में 87,657 करोड़ रुपये हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य के

लिए 70,051 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान किया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को प्राथमिकता दें तथा अपने स्वास्थ्य बजट में कम से कम 8% की वृद्धि करें, ताकि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।

(घ) और (ङ): आम जनता के लिए, देश में भविष्य की महामारियों/सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के खिलाफ बेहतर तैयारी के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में 15,000 करोड़ रुपये के 'भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज' को मंजूरी दी गई थी, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के प्रबंधन के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, कैबिनेट ने 23,123 करोड़ रुपये (केंद्रीय घटक के रूप में 15,000 करोड़ रुपये और राज्य घटक के रूप में 8,123 करोड़ रुपये) के साथ 'भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण- II' को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 35,000 करोड़ रुपये के व्यय से सभी वयस्क नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय कोविड भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम" भी लागू किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के खिलाफ देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती हुई बीमारियों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रो और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है।

*****